

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू जयपुर

पीछासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रार्थना पत्र संख्या... 157/21

2021  
4/13

सरकार बनाम असोसिटेड कर्नर

अन्तर्गत धारा 131, 132 एचए आरए एक्ट 1956

निर्णय दिनांक... 17/11/21

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमू एवं उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प नांगल गोविन्द में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम सिरसा तहसील चौमू के निम्नांकित प्रकरण में मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्सा ट्रेस में लाल रंगाही से दक्षिण भूमि पर मौके पर चालू सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग में आना बताया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण प्रेषित किया है, रिपोर्ट तहसीलदार चौमू, उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ एवं संरक्षक ग्राम पंचायत नांगल गोविन्द के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से आम रास्ता चालू होने का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0- भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्व (पुन-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण के अनुसार निम्नांकित राजस्व ग्राम की भूमि में से (मुताबिक एनक्सा-1 व नजरी नक्सा ट्रेस) अनुसार किस्म गै.मू रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मू0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं।

क्र0स0	नाम राजस्व ग्राम	खं.न.	कुल रकबा (हेक्ट0 में)	किस्म	रास्ते दर्ज हेतु स्वीकृत रकबा (वर्गमीटर में)	वि.वि
1.	सिरसा	473	0.80	चा.2		
2.		474	0.64	बा.1		
3.		475	1.14	बा.1		
		476	0.44	बा.1		

उक्तानुसार निजी खातेदारी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्से में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित गै0मू0 रास्ता दर्ज किया जावेगा।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार चौमू को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/21 को कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

कैम्प अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौमू (जयपुर)